

गुडईयर इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : मथुरा रोड, बल्लभगढ़ (जिला फरीदाबाद) – 121 004, हरियाणा, भारत
कॉरपोरेट कार्यालय : प्रथम तल, एबीडब्ल्यू एलिंग्स टावर, प्लॉट नं. 8, कमर्शियल सेंटर जसोला-110 025, नई दिल्ली, भारत
सी.आइ.एन: L25111HR1961PLC008578

ई-मेल - goodyearindia_investorcell@goodyear.com, वेबसाइट - www.goodyear.co.in

स्थिति I I: आईईपीएफ में उन शेयरों का अंतरण जिनके लाभांश का वित्त वर्ष 2010 से भुगतान/दावा नहीं किया गया की सार्वजनिक सूचना

प्रभावी आईपीएफ (लेखा, अंकेक्षण, अंतरण एवं वापसी) संशोधन विनियम, 2017 के साथ पठित भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956/2013 की धाराओं 124 और 125 के अनुसार सदस्यों से यह आग्रह किया जाता है कि नियति तिथि अर्थात् **जुलाई 27, 2018** समाप्त होने से पहले यथा शीघ्र पिछले सभी 7 वर्षों के अपने लाभांश (लाभांशों) का नकद भुगतान कर लें। इसमें असफल रहने पर जिन शेयरों के लाभांश के वारंट का लगातार 7 वर्षों से नकद भुगतान नहीं हुआ है उन्हें आईईपीएफ के डीमैट खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।

उपरोक्त लाभांशों और शेयरों पर दावा करने की प्रक्रिया:

उपरोक्त का ध्यान रखते हुए जिन सदस्यों ने पिछले लगातार 7 वर्षों के लाभांश वारंट का अब तक नकद भुगतान नहीं प्राप्त किया है उनसे दुबारा आग्रह है कि कृपया यथा शीघ्र कंपनी रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (अर्थात् मेसर्स स्काइलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) के निम्नलिखित सूचना में उल्लेखित पते पर आवश्यक विवरणों (अर्थात् फोलियो नंबर, डीपी-आईडी (यदि हो), वर्तमान पता और दूरभाष संख्या) के साथ संपर्क करें।

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट :

मेसर्स स्काइलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,
(सी.आइ.एन: U74899DL1995PTC071324)

(यूनिट : गुडईयर इंडिया लिमिटेड)

डी-153/ए, पहली मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज- 1, नई दिल्ली-110020, भारत

ईमेल : info@skylinerta.com, दूरभाष: +9111-26812682, 83, +9111-64732681

सदस्यों से आग्रह है कि जिन लाभांश वारंट का नकद भुगतान नहीं हुआ और अंतरित किए जाने वाले शेयरों के विवरण कृपया <https://www.goodyear.co.in/about-us/investorrelations> पर देख लें। कंपनी ऐसे प्रत्येक शेयरधारक को व्यक्तिगत सूचना भेज चुकी है जिनके शेयरों का आईईपीएफ के डीमैट खाते में अंतरण कर दिया जाएगा।

इन शेयरों के सभी संचित लाभ जैसे लाभांश, बोनस शेयर, स्प्लिट, कंसोडिलेशन, फ्रैक्शन शेयर आदि राइट्स इश्यू छोड़कर भी नियमानुसार आईईपीएफ में अंतरित कर दिये जाएंगे। इसलिए सदस्यों को फिर से आग्रह किया जाता है कि शेयरों के आईईपीएफ के डीमैट खाते में अंतरण होने के बाद कंपनी पर कोई दावा नहीं किया जा सकता है। हालांकि सदस्यों को आईईपीएफ के डीमैट खाते से आईईपीएफ नियमों के अनुसार शेयर प्राप्त करने का अधिकार है।

सदस्यों यदि चाहें तो किसी स्पष्टीकरण या अधिक जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेश से
कृते गुडईयर इंडिया लिमिटेड

Sd/-

पंकज गुप्ता
(कंपनी सचिव)

तिथि: अप्रैल 26, 2018
स्थान: नई दिल्ली

